

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन(ग्रुप-2)विभाग**

क्रमांक :—प.2(1)साप्र/2/2019

जयपुर, दिनांक : 20/10/2020

—: आदेश :—

निम्नांकित अधिकारियों को उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत शिथिलता प्रदान कर आउट ऑफ टर्न उनके नाम के सम्मुख अंकित द्वितीय श्रेणी के राजकीय आवास का निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है:—

| क्र.सं. | वरियता संख्या            | नाम एवं पदनाम  | सेवानिवृत्ति तिथि | आवंटित राजकीय आवास संख्या |
|---------|--------------------------|--|-------------------|---------------------------|
| 1.      | प्रथम श्रेणी 13 / 2020   | श्री विश्व मोहन शर्मा, आई.ए.एस.<br>भू-प्रबंध आयुक्त एवं पदेन निदेशक<br>बंदोबस्त, राज0 जयपुर              | 28.02.2038        | 304, मॉडल टाउन            |
| 2.      | प्रथम श्रेणी 14 / 2020   | श्री कुमार पाल गौतम, आई.ए.एस.<br>परियोजना निदेशक,<br>राजस्थान शहरी आधारभूत विकास<br>परियोजना, राज0 जयपुर | 30.04.2044        | 303, मॉडल टाउन            |
| 3.      | द्वितीय श्रेणी 13 / 2020 | श्रीमती चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.<br>संयुक्त शासन सचिव,<br>उद्योग विभाग, शासन सचिवालय,<br>जयपुर            | 31.08.2044        | 103, मॉडल टाउन            |
| 4.      | द्वितीय श्रेणी 14 / 2020 | श्री आदर्श सिधु, आई.पी.एस.<br>पुलिस उपायुक्त (यातायात),<br>पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।                       | 31.10.2042        | 601, मॉडल टाउन            |
| 5.      | द्वितीय श्रेणी 16 / 2020 | श्रीमती आर्तिका शुक्ला, आई.ए.एस.<br>अतिरिक्त कमिशनर,<br>वाणिज्यिक कर विभाग, राज0 जयपुर                   | 30.09.2050        | 701, मॉडल टाउन            |

**शर्त :—**

- आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी—चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो रोक दिया जायेगा।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:—
  - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होंगी।
- उक्त आवंटियों से कॉमन सुविधा शुल्क के ऐटे राशि रूपये 300/- (अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) सीधे इनके वेतन से काटे जाकर राजकोष में जमा कराने होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

८०  
(डॉ. मोहन लाल यादव)  
विशिष्ट शासन सचिव

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—**

- जिला कलक्टर, जयपुर।
- प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- पुलिस आयुक्त, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- भू-प्रबंध आयुक्त एवं पदेन निदेशक, बंदोबस्त, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान शहरी आधारभूत विकास परियोजना, राज0 जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. क्रमांक एफ20002758 दिनांक 19.10.2020 के क्रम में।
- वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आपके विभाग से संबंधित आवंटीगण के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करावें।
- निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।

10. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय/जयपुर शहर, जयपुर।
11. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
12. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
14. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर/विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल जयपुर।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चम्पा करावे साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
16. संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे।
17. निजी सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
18. रक्षित पत्रावली।

३१८२०।११।२०२२  
विशिष्ट शासन सचिव

राजकीय आवास का कब्जा लेते समय प्रस्तुत करेंगे। संबंधित सहायक अभियन्ता द्वारा आवंटी से प्राप्त उक्त प्रपत्र अनुसार आवंटन हेतु पात्र होने पर ही कब्जा प्रदान किया जावेगा तथा आवंटन आदेश जारी होने के 15 दिवस में कब्जे की रिपोर्ट के साथ प्रपत्र आवश्यक रूप से सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करावेंगे।

प्रपत्र में असत्य सूचनाओं के आधार पर आवंटन निरस्त किया जा सकता है तथा कब्जे की तिथि से प्रचलित बाजार किराया दर वसूलनीय होगा।

### प्रपत्र

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 1.  | नाम अधिकारी / कर्मचारी   |  |
| 2.  | पिता / पति नाम   |  |
| 3.  | वर्तमान पद एवं पदस्थान विवरण   |  |
| 4.  | वैवाहिक स्थिति   |  |
| 5.  | जन्म दिनांक  |  |
| 6.  | सेवानिवृत्ति दिनांक  |  |
| 7.  | ईम्पलॉयी आई.डी. (Employee ID)  |  |
| 8.  | आधार नंबर  |  |
| 9.  | मोबाइल नंबर  |  |
| 10. | ई-मेल आई.डी.   |  |
| 11. | वर्तमान पता  |  |
| 12. | स्थायी पता   |  |
| 13. | नियुक्तिकर्ता विभाग  |  |
| 14. | पदस्थापन दिनांक  |  |
| 15. | डी.डी.ओ. कोड एवं नाम   |  |
| 16. | पे-मेट्रिक्स लेवल  |  |
| 17. | ग्रेड पे एवं बेसिक पे  |  |
| 18. | Service Type (State/Ministrial/Subordinate etc.)   |  |
| 19. | Employee Status (Probationer/ Permanent etc.)  |  |
| 20. | जयपुर शहर में राजकीय आवास हेतु जयपुर शहर में निरन्तर रूप से पदस्थापित है? जयपुर में आवास हेतु आवदेन किया जाने के पश्चात् लगातार जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं। इस माध्यमें स्वयं का जयपुर से बाहर स्थानान्तरण एवं पदस्थापन नहीं हुआ है। |  |
| 21. | आवंटी का जयपुर शहर में कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी सदस्य के नाम निजी आवास नहीं है।   |  |

आवेदक के हस्ताक्षर मय मोबाइल नम्बर

विभागाध्यक्ष /आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर मय मोहर